# न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

**पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)**
**जिला न्यायाधीश संवर्ग**

**फौजदारी विविध प्रकरण संख्या :** 113/2026
**प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :** 279/2025, **आरक्षी केन्द्र पचपदरा**
CNR : RJBA010004852026

आसीन खांन उर्फ कोजे खां पुत्र सुभान खांन, उम्र 26 वर्ष, निवासी सुनगरिया नाडा, गंगापुरा केशरपुरा, पुलिस थाना पचपदरा, जिला बालोतरा ।

**– प्रार्थी/अभियुक्त**

**विरुद्ध**

राजस्थान राज्य ।

**– अप्रार्थी**

**जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 279/2025, पुलिस थाना पचपदरा, अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023**

**उपस्थित :–**
1. श्री कौशल कुमार, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. श्री नेमाराम चौधरी, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

**–– आदेश ––**

दिनांक : 17.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी निर्दोष है । उसे इस प्रकरण में झूँठा संलिप्त किया है । प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं हुई है ।

3. यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है । आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है । प्रार्थी दिनांक 07.03.2026 से अभिरक्षा में है । प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर केईसी कंपनी द्वारा लगाए जा रहे विद्युत टावरों पर लगे विद्युत लाइन के तार चुराकर ले जाने के गंभीर अपराध का आरोप है । वर्तमान में चोरी के अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हैः–

| **क्र.सं.** | **मुकदमा नं.** | **पुलिस थाना** | **धारा** | **स्थिति** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03/2023 | मण्डली | 379/34 भादस | कोर्ट पेंडिंग |
| 2. | 27/2026 | पचपदरा | 303(2), 324(4)(5) BNS | जैर अनुसंधान |

6. उभय पक्षकारान की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया । अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी व अन्य के विरुद्ध केईसी कंपनी द्वारा लगाए जा रहे विद्युत टावरों पर लगे विद्युत लाइन के तार, चुराकर ले जाने का आरोप है । अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के कब्जे से चोरी करने में प्रयुक्त वाहन किसी अन्य प्रकरण में जब्तशुदा बरामद करना बताया है । प्रार्थी के कब्जे से चोरी गया विद्युत तार बरामद होना नहीं पाया जाता है । प्रार्थी दिनांक 07.03.2026 से अभिरक्षा में है । प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है । प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में अभी समय लगने की संभावना है तथा आरोपित अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है । इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

**–:: आदेश ::–**

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त आसीन खांन उर्फ कोजे खां की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी उपस्थिति बाबत्

अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये की जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

**(एम.आर. सुथार)**
**सेशन न्यायाधीश,**
**बालोतरा**

8. आदेश आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

**(एम.आर. सुथार)**
**सेशन न्यायाधीश,**
**बालोतरा**

I checked all the documents are right.
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Location: Balotra
Date: 2026.03.18 11:19:17 +0530